

समाहरपालय, गोपालगंज

(जिला भू-अर्जन प्रशाखा)

अधिसूचना

संख्या- 152 आर0

दिनांक- 16/01/13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-बनकटी थाना नम्बर-351, चादर नं0-01 थाना-गोपालगंज, परगना-मड़हल, जिला-गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् महम्मदपुर-छपरा पथ के चौड़ीकरण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- बनकटी थाना नम्बर-351, चादर नं0-01 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमी-बेश 03.62 एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है :-

खेसरा नं0- 93 पूर्ण, 95 अंश, 106 अंश, 107 अंश, 108 अंश, 109 अंश, 110 अंश, 111 अंश, 112 अंश, 113 अंश, 114 अंश, 621 अंश, 622 अंश, 637 पूर्ण, 635 अंश, 636 अंश, 782 पूर्ण, 783 अंश, 780 अंश, 781 अंश, 779 अंश, 778 अंश, 777 पूर्ण, 776 अंश, 775 अंश, 774 अंश, 773 अंश, 771 अंश, 872 अंश, 873 अंश, 879 अंश, 874 अंश, 875 अंश, 992 अंश, 991 अंश, 990 अंश, 989 अंश, 986 अंश, 985 अंश, 978 अंश, 977 अंश, 967 अंश, 965 अंश, 656 अंश, 657 अंश, 653/2864 अंश, 653 अंश, 645 अंश, 646 अंश, 644 अंश, 643 अंश, 642 अंश, 641 अंश, 639 अंश, 640 अंश, 749 अंश, 750 अंश, 752 अंश, 753 अंश, 756 अंश, 757 अंश, 758 अंश, 759 अंश, 764 अंश, 766 अंश, 767 अंश, 768 अंश, 769 अंश, 770 अंश, 1010 अंश, 1009 अंश, 1001 अंश, 1000 अंश, 999 अंश, 998 अंश, 994 अंश, 898 अंश, 834 अंश, 966 अंश, ।

जिसकी चौहदी निम्नांकित है :-

उत्तर :- सीवान खैरा आजम थाना नं0-354

दक्षिण :- सीवान बनकटी थाना नं0-351 मिलान चादर-02

पूरब :- खेसरा सं0-92 पूर्ण, 94 अंश, 95 अंश, 106 अंश, 107 अंश, 108 अंश, 109 अंश, 110 अंश, 111 अंश, 112 अंश, 113 अंश, 114 अंश, 622 अंश, 634 अंश, 635 अंश, 636 अंश, 814 अंश, 782 अंश, 789 अंश, 781 अंश, 780 अंश, 778 अंश, 779 अंश, 776 अंश, 775 अंश, 774 पूर्ण, 773 अंश, 771 अंश, 872 अंश, 873 अंश, 879 अंश, 874 अंश, 875 अंश, 937 अंश, 992 अंश, 991 अंश, 990 अंश, 989 अंश, 986 अंश, 985 अंश, 978 अंश, 977 अंश, 967 अंश, 965 अंश, 966 अंश, ।


पश्चिम:- खेसरा सं0-657 अंश, 656 अंश, 2864 अंश, 653 अंश, 645 अंश, 644 अंश, 643 अंश, 642 अंश, 641 अंश, 639 अंश, 696 अंश, 749 अंश, 750 अंश, 752 अंश, 753 अंश, 754 अंश, 756 अंश, 757 अंश, 758 अंश, 759 अंश, 764 अंश, 766 अंश, 767 अंश, 768 अंश, 769 अंश, 770 अंश, 1010 अंश, 1009 अंश, 1007 अंश, 1006 अंश, 1001 अंश, 1000 अंश, 999 अंश, 998 अंश, 994 अंश, ।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम -1894 यथा संशोधित-1984 की धारा-4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1981 के द्वारा संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध है। अर्जित की जाने वाले भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

समाहर्ता, गोपालगंज, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे उप महाप्रबंधक (तकनीकी), बिहार स्टेट रोड डेभलपमेन्ट कार्पोरेशन, हाजीपुर के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा-2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चूँकि यह भू-अर्जन योजना तुरन्त आवश्यक है।

अतः बिहार भू-अर्जन अधिनियम-1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 17(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए इस मामले में लागू नहीं होगी।


समाहर्ता
गोपालगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

६०/

सरकार के अवर/उप सचिव

ज्ञापांक संख्या-14/डी0 एल0 ए0 गोपालगंज (पथ) -78/2012-152 दि0-16/01/13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, गोपालगंज को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, गोपालगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

SW
11/1/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।